

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 546/2017

=====

1. बृज नंदन उर्फ सिया राम यादव पुत्र स्वर्गीय पीतांबर यादव,
 2. बेचन सिंह उर्फ शालिग्राम सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम कृपाल सिंह,
- दोनों ग्राम निवासी-पकाही, थाना-कुशेश्वर स्थान, जिला-दरभंगा।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा।
4. जिला दंडाधिकारी, दरभंगा।
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, बिरोल जिला-दरभंगा।
7. अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान, थाना कुशेश्वर स्थान, जिला-दरभंगा।
8. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वर स्थान, थाना कुशेश्वर स्थान, जिला-दरभंगा
9. मुखिया, ग्राम पंचायती राज पकाही झाझरा थाना कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा
10. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज पकाही झाझरा थाना कुशेश्वर स्थान जिला दरभंगा।
11. अभियंता-प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
12. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, कार्य प्रभाग 2, बेनीपुर,
थाना- बेनीपुर, जिला-दरभंगा।
13. प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, झाझरा थाना कुशेश्वर स्थान जिला दरभंगा।

14. श्री गौरी शंकर यादव, पुत्र बुची यादव, ग्राम निवासी-पकहवा, थाना-कुशेश्वर स्थान
जिला दरभंगा संवेदक (ठेकेदार) पकाही झाझरा में पंचायत सरकार भवन के निर्माण
के लिए।

..... प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, वरीय अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री कामेश्वर पी.डी. गुप्ता, जी.पी.-10 श्री विरेन्द्र कुमार, ए.सी. से जी.पी.-10
प्रतिवादी संख्या 9 के लिए	:	श्री रांतन कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 14 के लिए	:	श्री अभय शंकर सिंह, अधिवक्ता श्री बरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

संदर्भित प्रकरण:

- अय्यूबखान उर्फ नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2013) 4 एस.सी.सी. 465 में प्रकाशित
- विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2001) 4 एस.सी.सी. 734 में प्रकाशित
- अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2015 (3) पी.एल.जे.आर. 265 में प्रकाशित

याचिका:

यह याचिका आम सभा के उस निर्णय को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसके तहत पहले चयनित भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण को रद्द कर किसी अन्य भूमि पर निर्माण का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

निर्णय:

कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्णय के विरुद्ध शिकायत करता है, उसे यह दर्शाना आवश्यक है कि उसे किस प्रकार कानूनी क्षति हुई है। यदि ऐसा नहीं किया गया हो, तो ऐसा बाहरी व्यक्ति जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (अनुच्छेद 18)

याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं दर्शाया है कि विवादित आदेश से उन्हें व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार प्रभावित किया गया है या उन्हें कौन-सी व्यक्तिगत/कानूनी क्षति पहुँची है। साथ ही, रिट याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि उनका कोई कानूनी अधिकार प्रभावित हुआ है। अतः न्यायालय का मत है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। (अनुच्छेद 20)

पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पहले ही भारी धनराशि निवेशित हो चुकी है और निर्माण कार्य उन्नत चरण में है, अतः इस चरण पर कार्य को रोकना न केवल निर्माण में विलंब का कारण बनेगा, बल्कि परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि होगी, साथ ही सार्वजनिक धन का भारी नुकसान और राज्य को वित्तीय क्षति भी होगी। अतः इस परियोजना को रोकना अनुचित और अविवेकपूर्ण होगा। (अनुच्छेद 23)

याचिका खारिज की जाती है। (अनुच्छेद 24)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

सी.ए.वी. जजमेंट

तिथि: 07-04-2025

वर्तमान रिट याचिका आम सभा द्वारा ग्राम पंचायत राज पकाही-झाझरा के मुखिया के हस्ताक्षर के तहत वर्तमान रिट याचिका ग्राम पंचायत राज पकाही झाझरा के मुखिया के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 02.08.2016 के आम सभा के निर्णय को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पूर्व में चयनित भूमि को रद्द कर दिया गया है और सर्वसम्मति से मौजा-झाझरा, पी.एस. संख्या 261, खाता संख्या 2 (पुराना), खेसरा संख्या 885 (पुराना) से संबंधित, खाता संख्या 346 (नया), खेसरा संख्या 1019 (नया) [जिसे आगे मौजा-झाझरा, प्लॉट संख्या 1019 कहा जाएगा], 1 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि पर पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा द्वारा जारी दिनांक 06.12.2016 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने मौजा-पकाही में स्थित पूर्व चयनित भूमि, खाता संख्या 718, खेसरा संख्या 1204 [जिसे आगे मौजा-पकाही, प्लॉट संख्या 1204 कहा जाएगा] के स्थान पर मौजा-झाझरा, प्लॉट संख्या 1019, 1 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति दी है। अंत में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को मौजा-पकाही में स्थित भूमि, खाता संख्या 718, खेसरा संख्या 1204 पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि क्लस्टर संख्या 51 में पकाही झाझरा ग्राम पंचायत सहित छह पंचायतें हैं। पकाही झाझरा पंचायत के तत्कालीन मुखिया ने दिनांक 21.9.2012 को आवेदन देकर संबंधित अंचल अधिकारी से मौजा पकाही स्थित खाता संख्या 718, खेसरा संख्या 1204, रकबा 4 एकड़ 37 डिसमिल भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात अंचल अमीन ने दिनांक 15.10.2012 को भूमि की मापी कर ट्रेस मैप के साथ रिपोर्ट समर्पित की थी तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि का

सीमांकन भी किया था। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने दिनांक 6.11.2012 को भूमि का निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट समर्पित की थी। अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान अर्थात् प्रतिवादी संख्या 7 ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण से संबंधित मामले के तथ्यात्मक पहलू से जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 को पत्रांक 28.11.2012 द्वारा अवगत कराया था। प्रतिवादियों ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मौजा-पकाही में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी तथा तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ने पकाही में पंचायत सरकार भवन के निर्माण सहित पांच कार्यों के लिए निविदा सूचना संख्या 2/14-15 जारी की थी, जिसकी अनुमानित लागत 95,38,455/- रुपये थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए बारह माह का समय निर्धारित था। केवल एक व्यक्ति गौरी शंकर यादव अर्थात् प्रतिवादी संख्या 14 ने ही बोली प्रस्तुत की थी, इसलिए उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया गया। फिर भी, उन्होंने उक्त पंचायत सरकार भवन के निर्माण में देरी की, क्योंकि पूर्व मुखिया और निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति पंचायत सरकार भवन के स्थल को बदलने का प्रयास कर रहे थे।

3. प्रतिवादी अभियंता प्रमुख, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 11.05.2016 के पत्र द्वारा कुशेश्वर स्थान, पकाही-झझरा, दरभंगा में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए श्री गौरी शंकर यादव को निविदा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि, इस बीच, नव निर्वाचित मुखिया ने दिनांक 02.08.2016 को आम सभा के सर्वसम्मत निर्णय सहित एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पूर्व में चयनित भूमि को रद्द कर दिया गया था और मौजा-झझरा, प्लॉट संख्या 1019, रकबा 1 एकड़ में स्थित भूमि पर इसका निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इस समय

यह बताया गया है कि उक्त प्लॉट संख्या 1019 मध्य विद्यालय, झंझरा का है, फिर भी अंचल अधिकारी ने मामले की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल को की थी, जिन्होंने पत्रांक 15.09.2016 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 को पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु पूर्व में चयनित स्थल को परिवर्तित करने की अनुशंसा की थी, बशर्ते शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति न हो और उसमें यह कहा गया था कि प्लॉट संख्या 1019 पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने दिनांक 06.12.2016 के आदेश के माध्यम से मौजा-झंझरा स्थित प्लॉट संख्या 1019, रकबा 1 एकड़ पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। याचिकाकर्ताओं और अन्य ने जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा द्वारा दिनांक 6.12.2016 को लिए गए उक्त निर्णय पर आपत्ति जताई थी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने दलील दी है कि मौजा-पकाही में अवस्थित प्लॉट संख्या 1204 से संबंधित पूर्व की भूमि, जहां मूल रूप से पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, एक बड़ा क्षेत्र है, जो पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है, जबकि प्लॉट संख्या 1019 से संबंधित नई भूमि एक छोटा भूखंड है, जो पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है और इसके अलावा प्लॉट संख्या 1019 अनुसूचित जाति के लोगों के टोले के पास भी अवस्थित है, इसके अलावा यह संलग्न सड़क से काफी नीचे है, जिसके लिए मिट्टी भरने की आवश्यकता होगी, जिससे अनावश्यक व्यय होगा। यह भी दलील दी गई है कि यह गलत कहा गया है कि उक्त प्लॉट संख्या 1204 में जलजमाव की समस्या है, जबकि तथ्य यह है कि यह सामान्य भूमि है, जो रहने के लिए उपयुक्त है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्लॉट संख्या 1019 से संबंधित नई भूमि एक विद्यालय की है तथा शिक्षा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है, ऐसे में प्रतिवादियों द्वारा प्लॉट संख्या 1019 पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने की कार्रवाई अवैध है। यह भी प्रस्तुत

किया गया है कि राज्य प्रतिवादियों द्वारा यह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाने के बाद कि पूर्व में चयनित प्लॉट संख्या 1204 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त है, अनुमोदन प्रदान किया गया, प्राक्कलन तैयार किया गया, निविदा आमंत्रित की गई तथा अंततः प्रतिवादी संख्या 14 को खेसरा संख्या 1204 पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए निविदा भी प्रदान की गई, फिर भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने अवैध रूप से तथा परोक्ष उद्देश्यों से पंचायत सरकार भवन के स्थान को प्लॉट संख्या 1019 से संबंधित अन्य भूमि पर बदल दिया है। कहा गया है कि यदि प्लॉट संख्या 1019 पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाता है, जो मध्य विद्यालय झझरा की भूमि है तथा विद्यालय से लगी खाईनुमा भूमि है, तो पंचायत सरकार भवन में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से विद्यालय के विद्यार्थियों तथा शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विद्यालय के निकट पंचायत सरकार भवन का निर्माण उचित नहीं है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को दिनांक 23.01.2017 को लिखे पत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्हें प्लॉट संख्या 1204 पर बनने वाले पंचायत सरकार भवन के स्थल परिवर्तन के आरोप की जांच करने तथा निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंचायत सरकार भवन संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में स्थित होना चाहिए। कहा गया है कि पकाही गांव पकाही झझरा पंचायत का मुख्यालय है तथा पकाही झझरी पंचायत के लगभग 70% मतदाता पकाही गांव के हैं, जो पूरी तरह सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत है कि उक्त भूखण्ड संख्या 1204 को अंचलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी, दरभंगा द्वारा सभी दृष्टि से उपयुक्त पाये

जाने के उपरान्त ही मौजा-पकाही स्थित उक्त भूखण्ड संख्या 1204 पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी, किन्तु नये मुखिया के चयन के उपरान्त उन्होंने परोक्ष उद्देश्यों से उक्त भूखण्ड संख्या 1019 को परिवर्तित करवा लिया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के उप सचिव ने पत्रांक 27.2.2012 द्वारा जिलाधिकारियों को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पंचायत मुख्यालय में अवस्थित है, जिसके बाद अपर समाहर्ता, दरभंगा ने पत्रांक 25.6.2012 द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को पूर्वोक्त अपेक्षित प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया था तथा उसके अनुपालन में अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान ने पत्रांक 4.10.2012 द्वारा अपर समाहर्ता, दरभंगा को सूचित किया था कि पंचायत सरकार भवन हेतु प्रस्तावित भूमि खाता संख्या 718, खेसरा संख्या 1204, पंचायत मुख्यालय में अवस्थित है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बिहार सरकार के सभी जिलाधिकारियों को दिनांक 21.08.2015 को प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार राज्य के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पंचायत सरकार भवन का निर्माण अनिवार्य रूप से संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में ही किया जाना है और इसके विपरीत पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कोई भी निर्णय अवैध है और इसे मान्य नहीं किया जा सकता है। दरअसल, उक्त पत्र दिनांक 21.08.2015 द्वारा बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे निर्माणाधीन सभी पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की समीक्षा करें तथा आश्वस्त हो लें कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में हो रहा है तथा हो चुका है। उक्त पत्र दिनांक 21.08.2015

में यह भी कहा गया है कि जहां पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मुख्यालय गांव के अलावा किसी अन्य गांव में सरकारी आदेश के विपरीत किया जा रहा है, वहां निर्माण कार्य को तत्काल स्थगित किया जाए तथा पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट भेजी जाए कि ऐसा निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पत्र दिनांक 21.08.2015 में निहित उपरोक्त दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी-जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा ने उक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य किया है और यद्यपि ग्राम पकाही ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा का मुख्यालय है, जहां मूल रूप से पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया गया था, फिर भी उन्होंने अवैध रूप से मौजा-झझरा में स्थित भूखंड संख्या 1019 की भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए स्थल परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की है और उक्त पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अवैध रूप से चल रहा है। वास्तव में, प्रतिवादी अभियंता प्रमुख ने दिनांक 3.3.2017 के पत्र द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल दरभंगा को पकाही के स्थान पर झझरा में पंचायत साकार भवन के अवैध निर्माण के बारे में सूचित किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि राज्य प्रतिवादियों द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए स्थल को मौजा पकाही से मौजा झझरा में परिवर्तित करने की पूरी कार्रवाई अवैध है और प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिनांक 21.8.2015 के पत्र में निहित उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत है, इसलिए आम सभा के दिनांक 02.08.2016 के निर्णय और जिला दंडाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 06.12.2016 के आदेश को रद्द किया जाना उचित है।

8. सर्वप्रथम, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका की स्वीकार्यता का मुद्दा उठाया है, क्योंकि न तो याचिकाकर्ताओं का कोई अधिकार क्षेत्र है और न ही उनके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसी आधार पर वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

9. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर प्रति-शपथ-पत्र का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि कुशेश्वरस्थान प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के मुखियाओं ने दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज, पकाही-झंझरा के पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु पूर्व में चयनित स्थल के संबंध में अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, दरभंगा के समक्ष आपति याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मौजा-पकाही प्लॉट संख्या 1204 स्थित भूमि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह निचली भूमि है, यहां जल-जमाव की समस्या है तथा आवागमन में भी समस्या है। तत्पश्चात जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा ने पत्रांक 30.5.2015 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान को जांच करने को कहा था, जिसके पश्चात अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान ने पत्रांक 22.6.2015 के माध्यम से अपनी जांच रिपोर्ट समर्पित की थी, जिसमें कहा गया था कि चिगरी, सिमराहा, हरौली एवं गोठानी पंचायत के मुखियाओं द्वारा यह बताया गया है कि चयनित भूमि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह नदी का भाग है, जहां कई दिनों तक जलजमाव रहता है, अतः ग्राम पंचायत चिगरी, सिमराहा एवं अन्य गांवों के मुखियाओं ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि अर्थात् मौजा-झंझरा, थाना संख्या 261, प्लॉट संख्या 1019 पर स्थित भूमि तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, सचिव एवं पंचायत समिति के पांच सदस्यों को सुझाव दिया

है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने उक्त भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए अपनी अनापत्ति दे दी है।

10. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके पश्चात दिनांक 02.08.2016 की आम सभा की कार्यवाही को संलग्न करते हुए प्रतिवादी अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष एक अन्य अभ्यावेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पूर्व में चयनित स्थल को दिनांक 02.08.2016 को आयोजित आम सभा में लिए गए निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा मौजा-झंझरा, प्लॉट संख्या 1019 में एक नया स्थल, जो अधिक उपयुक्त है, का चयन किया गया है। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने दिनांक 27.08.2016 को पत्र द्वारा अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान को मामले की जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा, जिसे उक्त अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 07.09.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पूर्व में चयनित स्थल यानी मौजा-पकाही में स्थित प्लॉट संख्या 1204, अनाबाद बिहार सरकारी जमीन, टाइप-बांध है, जहां दलित समुदाय के 20-25 परिवार रहते हैं और उक्त जमीन मुख्य सड़क से काफी दूर है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि दलित समुदाय के लोगों के विरोध के कारण ग्राम पंचायत राज पकाही-झंझरा के वर्तमान मुखिया ने दिनांक 02.08.2016 को एक आम सभा आयोजित की थी, जिसमें पूर्व में चयनित भूमि को निरस्त करने तथा मौजा-झंझरा में अवस्थित प्लॉट संख्या 1019, क्षेत्रफल 1 एकड़, का चयन पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु किया गया था, जो वर्तमान में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पुरुषोत्तम मध्य विद्यालय, झंझरा के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा इसका प्रकार घनहार-॥ अंकित है, साथ ही उक्त भूमि सड़क से सटी होने तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उपयुक्त होने के कारण भी उक्त भूमि का चयन किया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि पूर्व में

चयनित भूमि, अर्थात् मौजा-पकाही में स्थित प्लॉट संख्या 1204, पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान में किस्मा-बांध के रूप में दर्ज है, जो मुख्य सड़क से काफी दूर है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त प्लॉट संख्या 1204 पर दलित समुदाय का कब्जा है, जो उन्हें हटाए जाने का भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए उक्त स्थान पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से, पूर्व में चयनित स्थल को रद्द कर दिया गया है।

11. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित नया स्थल मुख्य सड़क संख्या 81 के समीप है, जो सतीघाट से झझरा तक जाती है तथा यह पूर्व में चयनित स्थल की तुलना में काफी बेहतर स्थल है, जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा द्वारा दिनांक 15.09.2016 को पत्र के माध्यम से प्रस्तावित नये भूखंड संख्या 1019 पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अनुशंसा की गयी है। यहां तक कि जिला दंडाधिकारी, दरभंगा ने दिनांक 06.12.2016 को पत्र के माध्यम से नये स्थल पर ग्राम पंचायत पकाही-झझरा के पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति भी दी है, जिसके बाद पर्याप्त निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। इस प्रकार, संक्षेप में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान और अनुमंडल अधिकारी, बिरौल द्वारा क्रमशः दिनांक 07.09.2016 और 15.09.2016 के पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले चयनित स्थान उचित नहीं है और आम लोगों की पहुंच से बाहर है और साथ ही सरकारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों के उद्देश्यों के विपरीत है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

12. इस न्यायालय ने पाया कि जून 2016 में निर्वाचित ग्राम पंचायत पकाही-झझरा के मुखिया, जो पूर्व मुखिया राजीव सिंह के उत्तराधिकारी हैं, द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान रिट याचिका रिट

याचिकाकर्ताओं के कहने पर विचारणीय नहीं है, जो छोटे ठेकेदार और भूमि दलाल हैं और जिन्हें पकाही गांव के पूर्व मुखिया राजीव सिंह ने पंचायत सरकार भवन के लाभ से निवासियों को वंचित करने के उद्देश्य से प्रॉक्सी मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए स्थापित किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत पकाही-झाझरा में छह गांव शामिल हैं, अर्थात् झाझरा, पकाही, मोरकाही, बहोरबा, डुभा और कुबोटन, हालांकि, उक्त ग्राम पंचायत में कोई ग्राम पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन नहीं है। यह भी कहा गया है कि पंचायत सरकार भवन सात ग्राम पंचायतों के समूह के लिए प्रस्तावित किया गया है, अर्थात् पकाही झाझरा, चिगारी सिमराहा, बड़गांव, गोठानी, दिनमो, बरना और हरौली, अतः प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन केवल ग्राम पंचायत पकाही-झाझरा के लिए ही नहीं है, बल्कि उक्त सात ग्राम पंचायतों के लिए भी है। यह कहा गया है कि यद्यपि दिशा-निर्देशों में किसी भी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत सरकार भवन के निर्माण का प्रावधान है, जहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, तथापि जहां तक पकाही झाझरा ग्राम पंचायत का संबंध है, मौजा-पकाही उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय नहीं है।

13. दरअसल पूर्व मुखिया श्री राजीव सिंह ने ग्राम पंचायत की आम सभा के निर्णय के बिना तथा अन्य छह ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना ही अनाबाद बिहार सरकार, गैर मजरूआ खास, प्रकृतिबांध के नाम से दर्ज मौजा पकाही, प्लॉट संख्या 1204 स्थित भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वयं ही दे दिया था। माना कि उक्त भूमि जलजमाव की समस्या से घिरी हुई है, इसलिए उक्त भूमि उपयुक्त नहीं है। फिर भी पूर्व मुखिया ने अवैध रूप से अधिकारियों को गुमराह कर मौजा पकाही के प्लॉट संख्या 1204 पर पंचायत सरकार भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया। उक्त भूमि पर 25-30 वर्षों से अधिक समय से दलित एवं महादलित

समुदाय के 25 से अधिक परिवार बसे हुए हैं तथा उनमें से कुछ को बसावट का पर्चा भी निर्गत किया गया है, जिन्होंने उक्त भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी होने पर 22.1.2015 को समाहर्ता, दरभंगा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यहां तक कि ग्राम पंचायत राज चिगारी सिमराहा, गोठानी, बरना दिनमो एवं हरौली के मुखिया ने भी ग्राम पकाही में पंचायत सरकार भवन निर्माण पर दिनांक 15.06.2015 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति जताई थी।

14. तदनुसार, उक्त मुखिया ने दिनांक 27.8.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त दिनांक 13.7.2015 को प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिन्होंने दिनांक 27.8.2016 के पत्र द्वारा अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान से प्रतिवेदन मांगा था, जिसके पश्चात अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान ने मामले की जांच कर दिनांक 07.09.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। इसी बीच दिनांक 02.08.2016 को आम सभा आयोजित की गई तथा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम झझरा स्थित प्लॉट संख्या 1019 पर कराया जाए। शेष ग्राम पंचायतों के मुखिया ही नहीं बल्कि संबंधित विद्यालय ने भी कोई आपत्ति नहीं दी है। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने अपने पत्र दिनांक 15.09.2016 के माध्यम से जिला पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट समर्पित की, जिसमें ग्राम झझरा स्थित प्लॉट संख्या 1019 पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अनुमति देने की अनुशंसा की गई, जिसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा दिनांक 06.12.2016 के आदेश के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि पंचायत सरकार भवन का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि भूतल पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका

है तथा पंचायत सरकार भवन का प्रथम तल भी छत स्तर तक पूर्ण हो चुका है, अतः यदि उक्त पंचायत सरकार भवन का निर्माण स्थगित किया जाता है, तो राज्य सरकार के खजाने को होने वाली हानि के अतिरिक्त गंभीर नुकसान भी होगा।

15. जहां तक प्रतिवादी संख्या 12 अर्थात कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार सरकार का प्रश्न है, उनकी ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए आम सभा द्वारा स्थल परिवर्तन किया गया है, जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में चयनित स्थल पर 20-25 महादलित परिवार निवास कर रहे हैं, जिन्हें उजाड़ना होगा। पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 546/2017 दिनांक 07-04-2025 19/38 के अनुसार भूमि की प्रकृति भी बांध है, जो जलजमाव वाली है तथा सड़क से भी काफी दूर है, इसलिए आम सभा द्वारा एक नया स्थल चयनित किया गया, जो मुख्य सड़क संख्या 81 से सटा हुआ है तथा डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, उच्च विद्यालय, ऊंचा चबूतरा तथा बाजार से घिरा हुआ है।

16. निजी प्रतिवादी संख्या 14 के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा है कि प्रतिवादी संख्या 14 का याचिकाकर्ताओं और नव निर्वाचित मुखिया के बीच लगाए जा रहे आरोपों और प्रतिआरोपों से या ग्राम पंचायत की आम सभा के निर्णय से कोई सरोकार नहीं है और वह ठेकेदार है जिसे पंचायत सरकार भवन के निर्माण की परियोजना दी गई है, जिसका निर्माण उसके द्वारा मौजा झझारा, प्लॉट संख्या 1019 में चयनित स्थल पर जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के आदेश दिनांक 06.12.2016 के तहत दी गई स्वीकृति के अनुसार किया जा रहा था। प्रस्तुत है कि उक्त पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य प्रतिवादी संख्या 14 को अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बेनीपुर, दरभंगा द्वारा जारी पत्र

दिनांक 16.7.2016 के तहत आवंटित किया गया था तथा उन्हें कार्यपालक अभियंता, एलएईओ, कार्य प्रमंडल-II, बेनीपुर, दरभंगा द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.12.2016 के तहत कार्य प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण करने को कहा गया था। इसके बाद प्रस्तुत है कि प्रतिवादी संख्या 14 ने उक्त पंचायत सरकार भवन के भूतल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है तथा प्रथम तल पर ईंट का कार्य भी लिंटल स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है, तथापि उसके बाद इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण कार्य रोक दिया गया है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 14 ने अनुबंध कार्य का 60-65% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन उसे केवल 37,07,407/- रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है, जो प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा किए गए कार्य का मात्र 40% है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कार्य में देरी होती है या निर्माण स्थल को इतनी देरी से बदला जाता है तो जनता का बहुत पैसा बर्बाद होगा और इसके अलावा, उक्त पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा होना सभी संबंधितों के हित में है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है क्योंकि यह एक जनहित याचिका नहीं है और इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं को कोई व्यक्तिगत चोट नहीं पहुंचाई गई है, इसलिए उनके पास वर्तमान मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

17. इस स्थिति में, वर्ष 2021 में निर्वाचित ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा के वर्तमान मुखिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला दिया है तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान मामले में दायर रिट याचिका एवं पूरक हलफनामों में दिए गए कथनों को दोहराया है। आगे कहा गया है कि मौजा-पकही में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति तत्कालीन जिला दंडाधिकारी, दरभंगा द्वारा ज्ञापांक 22.2.2013 द्वारा दी गई थी, परंतु जब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होता, नवनिर्वाचित मुखिया ने अधिकारियों से मिलीभगत कर मौजा-पकही

से मौजा-झझरा में स्थल परिवर्तन करवा लिया, जिसे अब जिला दंडाधिकारी, दरभंगा द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा अवैध रूप से स्वीकृत कर दिया गया है।

18. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा वर्तमान मामले में पक्षकारों द्वारा की गई विस्तृत दलीलों का अध्ययन किया है। सर्वप्रथम, प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के मुद्दे पर विचार करना प्रासंगिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं को कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं पहुंचाई गई है, इसलिए उनके पास वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह न्यायालय पाता है कि यह एक सुस्थापित कानून है कि जो व्यक्ति शिकायत करता है, उसे यह दिखाना चाहिए कि उसे किस प्रकार कानूनी क्षति पहुंची है तथा इसके अभाव में, किसी अजनबी को, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानूनी अधिकार का अर्थ कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाला अधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसे कानून के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया लाभ या फायदा कहा जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अस्तित्व, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है। यह भी एक सुस्थापित कानून है कि किसी व्यक्ति को रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह व्यक्तिगत रूप से आरोपित आदेश से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों को न तो सीधे या पर्याप्त रूप से सन्निहित किया गया है और न ही ऐसे अधिकारों के सन्निहित होने का कोई खतरा है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है और सामान्य नियम का अपवाद केवल उन मामलों में है

जहां आवेदन की गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या क्वो वारंटो की रिट है या सार्वजनिक हित में दायर की गई है, जो कि यहां मामला नहीं है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयाउबखान उर्फ नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसकी रिपोर्ट (2013) 4 एससीसी 465 में दी गई है, जिसके पैराग्राफ संख्या 9 से 17 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“9. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि किसी अजनबी को किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह प्राधिकरण/न्यायालय को यह संतुष्ट न कर दे कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। केवल वह व्यक्ति जो कानूनी क्षति से पीड़ित है या पीड़ित है, वह कानून की अदालत में अधिनियम/कार्रवाई/आदेश आदि को चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका या तो वैधानिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से या जब अपीलकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है कि अधिकारियों की ओर से वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, तब सुनवाई योग्य है। इसलिए, प्रवर्तन के लिए न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया जाता है। न्यायालय, निश्चित रूप से, किसी व्यक्ति के कहने पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक कर्तव्य के प्रदर्शन को लागू कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसे आग्रह करने का कानूनी अधिकार है। ऐसे प्रदर्शन पर। ऐसे अधिकार का अस्तित्व न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए एक शर्त है। ऐसे असाधारण

अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में यह निहित है कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई है, वह कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसे अधिकार का अस्तित्व न्यायालय द्वारा उक्त अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है। लागू किया जा सकने वाला कानूनी अधिकार आमतौर पर अपीलकर्ता का अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी के संबंध में राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। [उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा [1951 एससीसी 1024], सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1954 एससी 728], कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एआईआर 1962 एससी 1044], राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 5 एससीसी 460] और तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन (2) बनाम एस.सी. सेकर [(2009) 2 एससीसी 784]।

10. "कानूनी अधिकार" का अर्थ है कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाला अधिकार। इस प्रकार, इसे कानून के नियम द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति, "पीड़ित व्यक्ति" में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है; इसलिए, पीड़ित व्यक्ति अनिवार्य रूप से ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित या खतरे में पड़ गया हो। (देखें शांति कुमार आर. कैनजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क [(1974) 2 एससीसी 387] और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) 3 एससीसी 592]।

11. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय [(2008) 5 एससीसी 217] में, इस न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता।

12. ए. सुभाष बाबू बनाम ए.पी. राज्य [(2011) 7 एस.सी.सी. 616] में, इस न्यायालय ने माना: (एस.सी.सी. पृष्ठ 628-29, पैरा 25)

“25. ... अभिव्यक्ति ‘पीड़ित व्यक्ति’ एक लोचदार और मायावी अवधारणा को दर्शाता है। इसे एक कठोर, सटीक और व्यापक परिभाषा की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका दायरा और अर्थ विविध, परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि जिस कानून का उल्लंघन किया गया है उसकी सामग्री और इरादा, मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ, शिकायतकर्ता के हित की प्रकृति और सीमा और शिकायतकर्ता द्वारा झेले गए पूर्वाग्रह या चोट की प्रकृति और सीमा।”

13. इस न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के संबंध में भी स्पष्ट किया है कि “निकटतम मित्र” का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः अजनबी नहीं है। ऐसी याचिका उस व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की जा सकती जो कथित अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति के लिए पूर्णतः अजनबी हो। [देखें चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ [1950 एससीसी 833: एआईआर 1951 एससी 41], सुनील बत्रा (2) बनाम दिल्ली प्रशासन। [(1980) 3 एससीसी 488], नीलिमा प्रियदर्शिनी बनाम बिहार राज्य [1987 सप एससीसी 732],

सिमरनजीत सिंह मान बनाम भारत संघ [(1992) 4 एससीसी 653],
करमजीत सिंह बनाम भारत संघ [(1992) 4 एससीसी 666] और
किशोर समरीते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2013) 2 एससीसी 398]

14. इस न्यायालय ने न्यायालयों को लगातार चेतावनी दी है कि वे
बेईमान व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर विचार न करें,
क्योंकि ऐसे दखलंदाज न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में
संकोच नहीं करते। न्याय तक प्रभावी पहुँच का अधिकार, जो नए
सामाजिक अधिकार व्यवस्था के साथ उभरा है, का उपयोग बुनियादी
मानवाधिकारों की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य
कानूनी अधिकारों की गारंटी देना है और इसलिए न्यायिक प्रणाली के
ढाँचे के भीतर एक व्यावहारिक उपाय प्रदान किया जाना चाहिए। जब
भी कोई सार्वजनिक हित लागू होता है, तो न्यायालय को यह
सुनिश्चित करने के लिए मामले की जाँच करनी चाहिए कि वास्तव में
वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल है। न्यायालय को यह सुनिश्चित
करने के लिए सख्त सतर्कता बनाए रखनी चाहिए कि न्यायालय की
प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो और "आमतौर पर दखलंदाज लोगों
को वीजा न दिया जाए"। कई सामाजिक प्रदूषण शिकायतों के
निवारण न होने की नई समस्याएँ पैदा करते हैं, और न्यायालय को
उन मामलों को लेने का गंभीर प्रयास करना चाहिए, जहाँ लिस का
व्यक्तिपरक उद्देश्य इसकी आवश्यकता को उचित ठहराता है। (वीडियो
पी.एस.आर. साधननथम बनाम अरुणाचलम [(1980) 3 एससीसी
141], दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2010) 2 एससीसी
114], राज्य उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफाल [(2010) 3
एससीसी 402] और अमर सिंह बनाम भारत संघ [(2011) 7
एससीसी 69]।

15. जनहित याचिका दायर करने के मामले में भी इस न्यायालय ने लगातार माना है कि जहां तक सेवा मामलों का सवाल है, इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। (देखें दुर्योधन साहू बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा [(1998) 7 एससीसी 273], दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2005) 1 एससीसी 590] और नीतू बनाम पंजाब राज्य [(2007) 10 एससीसी 614]।

16. गुलाम कादिर बनाम विशेष न्यायाधिकरण [(2002) 1 एससीसी 33] में, इस न्यायालय ने एक समान मुद्दे पर विचार किया और निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 54, पैरा 38)

“38. इस कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारों को केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही लागू किया जा सकता है, सिवाय उस मामले के जहां रिट के लिए प्रार्थना की गई है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण या क्वो वारंटो के लिए है। सामान्य नियम में एक और अपवाद सार्वजनिक हित में रिट याचिका दायर करना है। याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार का अस्तित्व जिसका उल्लंघन किया गया है, उपरोक्त अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का आधार है। किसी व्यक्ति के न्यायालय तक पहुँचने के अधिकार के बारे में व्याख्या के रूढ़िवादी नियम में हमारे देश में संवैधानिक कानून के विकास के साथ एक बड़ा बदलाव आया है और संवैधानिक न्यायालय मामलों से निपटने या केवल अति तकनीकी आधार पर वादी के दावे को खारिज करने में उदार दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति केवल एक अजनबी नहीं पाया जाता है, जिसका किसी भी पद या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, उक्त बिंदु पर कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है, उसे यह दिखाना होगा कि उसे किस प्रकार कानूनी क्षति हुई है। आम तौर पर, किसी अजनबी को किसी भी पद या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होने पर उसे दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2001) 4 एससीसी 734 में रिपोर्ट की गई**, के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का संदर्भ लेना भी लाभदायक होगा और जिसका पैराग्राफ संख्या 2 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“2. सामान्य रूप से, किसी व्यक्ति के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह व्यक्तिगत रूप से आरोपित आदेश से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो सीधे या पर्याप्त रूप से आक्रमण किया गया है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण होने का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमों की अनदेखी करके उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवाद केवल उन मामलों में है जहां आवेदन की गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या क्वो वारंटो की रिट है या सार्वजनिक हित में दायर की गई है। यह विवेक की बात है कि न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को उन मामलों तक सीमित रखता है जहां किसी विशेष व्यक्ति को कानूनी गलत या कानूनी चोट पहुंचाई जाती है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, और तीसरे पक्ष के कहने पर व्यक्तिगत गलत या चोट के मामलों पर

विचार न करें, जहां एक प्रभावी कानूनी सहायता संगठन है जो ऐसे मामलों की देखभाल कर सकता है। यहां तक कि सार्वजनिक हित में दायर मामलों में भी, अदालत तीसरे पक्ष के कहने पर रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकती है जब यह दिखाया जाए कि कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ का खतरा है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारित वर्ग गरीबी, लाचारी या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अयाउबखान उर्फ नूरखान पठान (उपरोक्त) और विनय कुमार (उपरोक्त)** के मामलों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहीं भी यह बयान नहीं किया है कि दिनांक 6.12.2016 के आदेश से वे व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हुए हैं या उन्हें क्या व्यक्तिगत/कानूनी क्षति हुई है और इसके अलावा, रिट याचिका में किसी भी कानूनी अधिकार के अस्तित्व के संबंध में किसी भी दलील का पूर्ण अभाव है, जिसका उल्लंघन किया गया है, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान रिट याचिका रिट याचिकाकर्ताओं के कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं है, इसलिए, केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है।

21. अब मामले के गुण-दोष पर आते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि पूर्व मुखिया ने मौजा-पकाही, प्लॉट संख्या 1204 में स्थित भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अनुशंसा की थी, जिसे स्वीकृत तो कर दिया गया, लेकिन निविदा मुख्य अभियंता द्वारा 11.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 14 को ही प्रदान की जा सकी, तथापि इसी बीच, अर्थात् जून, 2016 में ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा के नए मुखिया का चुनाव कर लिया गया। प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों तथा

मुखिया, जो जून, 2016 में ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा के मुखिया के पद पर आसीन हुए थे, द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि मौजा-पकाही में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पूर्व में चयनित भूमि अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है, किस्म (किस्म)-बांध, जो नदी का एक मार्ग/भाग है तथा वर्ष के अधिकांश समय जलमग्न रहता है तथा मुख्य सड़क से काफी दूर स्थित है, इसके अलावा उक्त भूमि पर 20-25 से अधिक दलित परिवार लंबे समय से निवास कर रहे हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए नये मुखिया ने पकाही गांव में पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा छह गांवों का समूह है, जिनके नाम हैं- झझरा, पकाही, मोरकाही, बहोरबा, दुभा तथा कुबोटन। दरअसल, उक्त सभी गांवों के मुखिया ने 15.6.2015 को अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मौजा-पकाही में पंचायत सरकार भवन निर्माण पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा के तत्कालीन मुखिया ने भी 13.07.2015 को प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष तथा अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष अपनी अलग से आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने पत्रांक 27.08.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान से रिपोर्ट मांगी थी, जिन्होंने 07.09.2016 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें मौजा पकाही में अवस्थित भूखंड संख्या 1204 को अनाबाद बिहार सरकार, टाइप-बांध पाया गया था, जो काफी समय तक जलजमाव वाला रहता है, मुख्य सड़क से दूर अवस्थित है तथा वहां 20-25 दलित परिवार निवास करते हैं। जबकि उन्होंने मौजा-झझरा, प्लॉट संख्या 1019 में स्थित नई प्रस्तावित भूमि को सड़क के निकट होने के कारण अधिक उपयुक्त पाया था।

22. इस बीच, दिनांक 02.08.2016 को ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि मौजा-पकाही, प्लॉट संख्या 1204 पर स्थित पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए

पूर्व में चयनित भूमि को निरस्त कर दिया जाए तथा इसके स्थान पर मौजा-झंझरा में प्लॉट संख्या 1019 (नया) पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने दिनांक 15.09.2016 को अपना विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष समर्पित किया, जिसमें कहा गया कि मौजा-पकाही में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पूर्व में चयनित भूमि अनाबाद बिहार सरकार भूमि, टाइप-बांध है, जहां 20-25 दलित/महादलित परिवार अपना मकान बनाकर रह रहे हैं तथा उक्त भूमि मुख्य सड़क से काफी दूर है, साथ ही दलित परिवारों ने आपत्ति भी जताई है, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत राज पकाही-झंझरा की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत पूर्व में चयनित भूमि अर्थात् मौजा-पकाही स्थित भूमि को निरस्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर मौजा-झंझरा स्थित भूमि, प्लॉट संख्या 1019 (नया) जो शिक्षा विभाग की है, पर पंचायत सरकार भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से राज्य सरकार के पुरुषोत्तम मध्य विद्यालय झंझरा के लिए और पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त है। जिला मजिस्ट्रेट ने तब उपरोक्त तथ्यों पर विचार किया था और दिनांक 06.12.2016 के विवादित आदेश द्वारा मौजा-झंझरा, प्लॉट संख्या 1019 (नया) में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पटना उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 546/2017 दिनांक 07-04-2025 32/38 आम सभा के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा के दिनांक 06.12.2016 के निर्णय/आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं है, विशेष रूप से प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील के इस कथन के मद्देनजर कि प्लॉट संख्या 1019 (नया) से संबंधित ग्राम झंझरा में स्थित भूमि अधिक उपयुक्त भूमि है, किसी भी तरह के अतिक्रमण से मुक्त है, इसमें जल जमाव की कोई समस्या नहीं है, मुख्य सड़क संख्या 81 से सटा हुआ है और इसके अलावा, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र,

उच्च विद्यालय, ऊंचा चबूतरा और बाजार पास में स्थित हैं, इसके अलावा इस तथ्य के अलावा कि इस बात पर गंभीर विवाद है कि गांव/मौजा-पकाही ग्राम पंचायत राज पकाही-झझरा का ग्राम मुख्यालय है या नहीं, इसलिए पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस प्रकार, इस न्यायालय को जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा के दिनांक 06.12.2016 के निर्णय में कोई अस्पष्टता नहीं दिखती है, जिसके तहत उन्होंने मौजा झझरा में प्लॉट संख्या 1019 से संबंधित 1 एकड़ क्षेत्रफल वाले पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, इसलिए, गुण-दोष के आधार पर भी, रिट याचिकाकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है।

23. मामले का दूसरा पहलू यह है कि जून 2016 में निर्वाचित मुखिया द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के पैरा संख्या 23 में, संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ संख्या 133 पर यह दलील दी गई है कि मौजा-झझरा, प्लॉट संख्या 1019 पर बन रहे पंचायत सरकार भवन का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें संपूर्ण भूतल का निर्माण हो चुका है तथा प्रथम तल का निर्माण भी छत तक हो चुका है, जिसके बाद इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण कार्य रोक दिया गया है। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं ने उक्त जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल किया है, लेकिन संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ संख्या 168 पर प्रत्युत्तर हलफनामे के पैरा संख्या 18 से यह पता चलता है कि उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया गया है। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 14 ने भी अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि अनुबंध का 60-65% काम पूरा हो चुका है, भूतल की पूरी संरचना पूरी हो चुकी है और पहली मंजिल पर ईंटों का काम भी लिंटल स्तर तक पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण काम रोक दिया गया है और उसे केवल 37,07,407 रुपये का भुगतान किया गया है, जो उसके द्वारा पहले से किए गए अनुबंध कार्य की केवल 40% राशि है। इस प्रकार, इस

न्यायालय को लगता है कि इस परियोजना में पहले ही बहुत बड़ी राशि निवेश की जा चुकी है और संबंधित पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, इसलिए इस समय इसे रोकने से न केवल पंचायत सरकार भवन के निर्माण में और देरी होगी बल्कि परियोजना की लागत में भी भारी वृद्धि होगी और साथ ही जनता के पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी होगी और राज्य के खजाने को भी नुकसान होगा, इसलिए परियोजना को रोकना अविवेकपूर्ण और अनुचित होगा। दिनांक 15 जून 2014 के निर्णय में कहा गया है कि इस परियोजना को स्थगित करना अविवेकपूर्ण और अनुचित होगा। 26.6.2015 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9939/2012 (**अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**) में पारित, 2015(3) पी.एल.जे.आर. 265 में रिपोर्ट किया गया, यद्यपि इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पटना में विचाराधीन संग्रहालय का निर्माण बिल्कुल भी जनहित में नहीं है, फिर भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, इसने विचाराधीन परियोजना को रोकने से परहेज किया। इस संबंध में, नीचे पैराग्राफ संख्या 24 से 29 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:-

24. यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं को भी निर्माण, संचालन और हस्तांतरण या इसी तरह की अन्य व्यवस्थाओं के लिए निजी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है, जिसमें निजी एजेंसियों को राशि खर्च करने और फिर सुविधा का संचालन करके उसे वसूलने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सीमित संसाधनों को लोगों, विशेषकर गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए। सार्वजनिक लाभ के लिए अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह की प्रथाएँ अपनाई जाती हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च करके

संग्रहालय का निर्माण, वह भी तब जब ऐसी सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं, तत्काल आवश्यकता या सार्वजनिक चिंता का विषय नहीं कहा जा सकता। जवाबी हलफनामे में जो कुछ भी बताया गया है, उससे भी पता चलता है कि संग्रहालय के निर्माण का उद्देश्य विदेशी आगंतुकों और पर्यटकों को आकर्षित करना है। यह ऐसे समय में है जब सड़कें, बिहार राज्य में स्वच्छता, स्कूल, अस्पताल दयनीय स्थिति में हैं और अगर गुस्सा नहीं तो निराशा और दया पैदा कर रहे हैं। 500 करोड़ की राशि का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो लाखों लोगों को स्थायी आश्रय या राज्य के लोगों को चिकित्सा और शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जा सकती थीं।

25. यदि राज्य सरकार चाहती भी कि ऐसी कोई सुविधा बने, तो वह इसे किसी इच्छुक एजेंसी को सौंप सकती थी जो परियोजना का वित्तपोषण कर सके और उत्पन्न राजस्व से राशि वसूल कर सके। लेकिन, उसने सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय के बीच 17 एकड़ की बेशकीमती जमीन आवंटित करना उचित समझा, जिसमें कई सरकारी प्रतिष्ठानों को जबरन हटाया गया और 500 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि खर्च की गई। अनुबंध देने में पारदर्शिता की कमी पहले ही उजागर हो चुकी है, जैसा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है। मौजूदा सौ साल पुराने संग्रहालय को लगभग बेकार मान लिया गया, क्योंकि यह नया या आकर्षक नहीं है। निर्णय लेने वाले संग्रहालय की इमारत की आधुनिकता से अधिक आकर्षित थे, न कि उसमें संरक्षित और प्रदर्शित की जाने वाली चीजों से। व्यावसायिक उद्यम के रूप में भी, यह परियोजना पूरी तरह विफल हो जाएगी।

26. यह सर्वविदित है कि पटना हवाई अड्डा आदिम अवस्था में है। निकट भविष्य में इसके विकसित होने की कोई उम्मीद नहीं है,

क्योंकि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। इसके विपरीत, हाल ही में बिहार से अलग होकर बने झारखंड की राजधानी रांची में हवाई अड्डे ने अभूतपूर्व विकास दर्ज किया है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थित स्मारकों और संग्रहालयों तक जाने वाली सड़कें केवल अनुभव करने योग्य हैं। योजनाकारों ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि कोई स्मारक मुख्यतः स्थान के कारण आकर्षक बनता है, उस स्थान के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और जब उसे किसी शानदार इमारत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह किसी भी ऐतिहासिक महत्व से रहित केवल एक शोपीस बन जाता है।

27. राज्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ [(2000) 10 एससीसी 664]; बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ [(2002) 2 एससीसी 333]; गुरुवायूर देवस्वोम प्रबंध समिति बनाम सी.के. राजन [(2003) 7 एससीसी 546]; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन [(2011) 7 एससीसी 639]; एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य [(2013) 9 एससीसी 659]; जल महल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम के.पी. शर्मा [(2014) 8 एससीसी 804]; कर्नाटक राज्य बनाम अरुण कुमार अग्रवाल [(2000) 1 एससीसी 210]; सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ.प्र. वी. सहंगू राम आर्य [(2002) 5 एससीसी 521]; महादजी सिंधिया स्मारक समिति, ग्वालियर बनाम मप्र राज्य। [1980 एमपीएलजे 704]; और सू मोटो-इन रे: पुरावशेषों का संरक्षण आपराधिक मुकदमे में शामिल [एआईआर 1999 ओरी 53]।

28. हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के प्रति सचेत हैं। यद्यपि मामले के तथ्य प्रारंभिक चरण में परियोजना को रोकने के लिए पर्याप्त थे, फिर भी यदि कोई उन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तो परियोजना को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। साथ ही, हम राज्य की ओर से की गई घोर अवैधता से भी अनभिज्ञ नहीं रह सकते, जिसने न केवल सीमित सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करके परियोजना को आगे बढ़ाया, बल्कि इस तरह से अनुबंध भी दिया जो पारदर्शी नहीं है।

29. इसलिए हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पटना में सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय के बीच 17 ½ एकड़ की प्रमुख भूमि पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय संग्रहालय के निर्माण की परियोजना बिल्कुल भी जनहित में नहीं है और जिस तरह से परामर्श आदि के अनुबंध दिए गए हैं, वह पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण नहीं है। हालांकि, हम इस परियोजना को रोकने का इरादा नहीं रखते हैं जो पूरी होने वाली है। हम निर्देश देते हैं कि यदि संग्रहालय अव्यवहार्य हो जाता है, तो भवन और अन्य बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि इसका उपयोग सार्वजनिक संस्थानों या उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

24. पूर्वगामी कारणों से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और **अय्युब्खान उर्फ नूरखान पठान** (उपरोक्त) और **विनय कुमार** (उपरोक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और साथ ही **अशोक कुमार** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा, जो पूरी तरह से

वर्तमान मामले को आवरित करता है, मैं वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता, इस प्रकार, यह खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।